



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45661

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी क्रमांक-516/2026

विभव भूषण उपाध्याय

...याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : राकेश त्रिपाठी-

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या.-54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी।
2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"प्रतिवादी संख्या 2/उप निदेशक, समेकन, बलिया जिला-बलिया को धारा 48(2) के तहत संदर्भ मामला संख्या 122/2025 (पुराना क्रमांक 4/12-13) (राज्य बनाम राम सुंदर और अन्य) पर निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्रता से निर्णय लेने का आदेश देते हुए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. यदि उपरोक्त मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश जारी किया जाए तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त सारांश में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए न्यायालय मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करना उचित समझता है, और प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देता है कि वह उक्त मामले का निपटारा विधिवत रूप से, तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से **तीन महीने** की अवधि के भीतर करे।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम **खारिज** किया जाता है।

फरवरी 27, 2026

वीआर

न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”